संख्या-14/2015/ 629 /सत्रह.म.2015 ।।-1 (4)/2007

प्रेषक

क्षेत्रपाल
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिनांक 01 जून 2015

विषय - मोबाइल फिश पार्लर योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 के आय- व्ययक में प्राविधान के सापेक्ष्य वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बंध में

महोदय

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 162 / नि0शा0/ 2015-16 दिंनाक 15 -04-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या - 17 के अन्तर्गत मोबाइल फिश पार्लर योजना हेतु रू0 1650 हजार ( सोलह लाख पचास हजार) मात्र धनराशि का प्राविधान किया गया है । अत: प्राविधानित धनराशि रू0 1650 हजार ( सोलह लाख पचास हजार ) मात्र धनराशि को मोबाइल फिश पार्लर योजना हेतु चयनित 10 जनपदों के लिए उपलब्ध कराये गये जनपदवार फांट के अनुसार निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

( धनराशि रू0 हजार में)

| क्र0स0 | जनपद | भौतिक लक्ष्य ( संख्या में ) | इकाई लागत | इकाई लागत का30 प्रतिशत अनुमन्य अनुदान | स्वीकृति धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | लखनऊ | 1 | 5.50 | 165 | 165 |
| 2 | गोरखपुर | 1 | 5.50 | 165 | 165 |
| 3 | लखीमपुर खीरी | 1 | 5.50 | 165 | 165 |
| 4 | बरेली (अल्पसंख्यक ) | 1 | 5.50 | 165 | 165 |
| 5 | रायबरेली | 1 | 5.50 | 165 | 165 |
| 6 | इलाहाबाद (अल्पसंख्यक) | 1 | 5.50 | 165 | 165 |
| 7 | अलीगढ | 1 | 5.50 | 165 | 165 |
| 8 | आजमगढ | 1 | 5.50 | 165 | 165 |
| 9 | मेरठ | 1 | 5.50 | 165 | 165 |
| 10 | गौतमबुद्वनगर | 1 | 5.50 | 165 | 165 |
| | योग | 10 | | 1650 | 1650 |

(कुल रू0 सोलह लाख पचास हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

1- उपरोक्त स्वीकृति धनराशि का उपयोग पूर्व निर्धारित नियमों/शर्तों के अधीन योजना का क्रियान्वयन निदेशक मत्स्य उ0प्र0 लखनऊ की कार्ययोजना के अनुसार किया जायेगा। निदेशक मत्स्य द्वारा मण्डल स्तरीय अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाने की कार्यवाही की जायेगी ।

2- यह योजना निजी क्षेत्र मे चयनित पात्र लाभार्थियों के 30 प्रतिशत शासकीय अनुदान और 70 प्रतिशत बैक ऋण द्वारा शहरी क्षेत्र में क्रियान्वित की जायेगी। लाभार्थियों की सूची एवं बैंक खाते की पूर्ण सूचना शासन को देनी होगी। उपरोक्त स्वीकृति धनराशि का कोषागार से आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा ।

3- योजनान्तर्गत स्वीकृति धनराशि का उपयोग होने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को इसी वित्तीय वर्ष मे उपलब्ध कराया जायेगा । उपरोक्त स्वीकृति धनराशि का आहरण करने से पूर्व जहॉ पर उ0प्र0 बजट मैनूअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशो के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी को स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो तो व्यय करने के पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4- उपरोक्त होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या -17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन - आयोजनागत 101 -अन्तदेर्शीय मछली पालन 04- मत्स्य विकास कार्यक्रम 0404- मोबाइल फिश पार्लर 27- सब्सिडी के नामें डाला जायेगा ।

5-. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2015 / बी-1-925/ दस - 2015- 231 / 2015 दिंनाक 30 मार्च 2015 में दिये गये निर्देशानुसार जारी किये जा रहें हैं ।

भवदीय

(क्षेत्रपाल)
संयुक्त सचिव।

संख्या 14/ 2015 /629 (1) / सत्रह- .म.2015 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2. महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3. सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0
4. वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ
5. वित्त (व्यय- नियत्रण) अनुभाग- 2 /वित्त - (आय- व्ययक) अनुभाग 1/नियोजन अनुभाग-3
6. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

(क्षेत्रपाल)
संयुक्त सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com